न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 34/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शान्तिलाल पुत्र खंगारारामजी, जाति सुथार, निवासी बादनवाडी, तहसील आहोर, जिला जालोर		राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर दिनांक 25.5.2018
(प्रकरण सं. 40/2018)

1.श्री चिरंजीलाल गहलोत, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय — दिनांक 6.3.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि मौजा बादनवाडी के खसरा नम्बर 396 किस्म बारानी दोयम में अपीलांट का 0.033 हेक्टर की आराजी के प्लोट पर करीबन् 40 वर्षो से अधिक से पुश्तैनी कब्जा है, तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 25.5.2018 को बेदखली का आदेश जारी किया गया । उक्त आराजी के प्लोट पर अपीलांट के स्व.पिता का 40 वर्षसे अधिक का कब्जा लगातार चला आ रहा है, अपीलांट के स्व.पिता ने अपनी जीवनकाल में उक्त आराजी में कच्चा मकान का निर्माण करवाया था जिसमें पशु बांधे रहते थे, बाद में उक्त कच्चा मकान गिर गया,पुनःचार दिवारी तथा पक्का मकान हेतु करीबन् 20 वर्ष पूर्व पत्थर डाले गये, परन्तु अपीलांट के पिता का देहान्त होने से व आर्थिक स्थिति कमजोर होने पक्का मकान व चार दिवारी निर्माण नही हो सका। अपीलांट के स्व. पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त प्लॉट का पट्टा हेतु ग्राम पंचायत में भी आवेदन किया था, परन्तु ग्राम पंचायत ने आवेदन फाईल यह कहकर लौटा दी कि उक्त प्लॉट ग्राम पंचायत का स्वामित्व न होने से पट्टा जारी नहीं कर सकती है। उक्त आराजी की किस्म बारानी दोयम होने से अपीलांट के पक्ष में नियमन किया जा सकता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश जारी किया है, अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 26.8.2018को नकल प्राप्त होने पर हुई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक

25.5.18 निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय की प्रमाणित पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई प्रत्युतर पेश नही किया गया हैं अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई,अपीलांट के अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा बादनवाडी के खसरा नम्बर 396 किस्म बारानी दोयम पर अपीलांट के स्व. पिता व पिता के बाद अपीलांट का करीबन् 40 वर्षो से अधिक समय से पुश्तैनी कब्जा है ,अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में नियमन नही कर बेदखली का आदेश दिया गया है जो निरस्त करावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि अपीलांट ने मौजा बादनवाडी के खसरा नम्बर 396 कुल रकबा 5.70 हेक्टर में से 0.033हेक्टर यानि 330 वर्गमीटर पर बाडा कर अतिक्रमण करने से तहसीलदार आहोर द्वारा बाद सुनवाई के बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया जो सही पारित किया गया है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल शान्तिलाल द्वारा मौजा बादनवाडी के खसरा नम्बर 396अतिक्रमित भूमि की किस्म बारानी दोयम है, गैरसायल शान्तिलाल ने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जवाब पेश किया कि मौजा बादनवाडी के खसरा नम्बर 396 पर 0.033 हेक्टर पर करीबन् 50 वर्षो से पुश्तैनी कब्जा है ,करीब 15 वर्ष पूर्व कच्चा मकान ढह गया , पक्का निर्माण हेतु मौके पर पत्थर पडे है, अतः अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य हो तो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र के परिपेक्ष्य मे प्रकरण का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 25.5.2018(प्र.सं.40 / 18) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर, प्रस्तुत सबूतो का राज्य सरकार द्वारा कब्जे के नियमन के सबंध में जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय,आज दिनांक 6.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर